

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक
सेवा में,

133/1, कृष्ण एन०वी०ल०/२२

दिनांक- 28/3/2022

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 25.03.2022
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि "सेंट मैरिज कॉर्नरेट स्कूल, सोनातालाब, वाराणसी" भवन से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का स्थलीय निरीक्षण/जाँच अवर अभियंता द्वारा किया गया। उक्त स्कूल भवन "नेशनल बिल्डिंग कोड-2005" के सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित प्रतीत होता है (चेक लिस्ट संलग्न)।

संलग्नक:- चेकलिस्ट मूल में।

पत्रांक

/

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वी०,
वाराणसी २८/०३/२०२२

दिनांक

प्रतिलिपि प्रवन्धक- सेंट मैरिज कॉर्नरेट स्कूल, सोनातालाब, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वी०,
वाराणसी

B.S.A

28/3/2022

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से ८). हेतु चेकलिस्ट
सेंट ऐरिज बान्वेंट एक्यूल, सोनातालाब, ताराणारनी

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु	जांच आव्याह
1	भवन की चेक लिस्ट	
2	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हौं।
3	क्या भवन मानचित्र रथानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हौं।
4	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं।
5	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमीटर) है?	। 24 एकड़।
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हौं।
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हौं।
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	हौं।
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में जलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हौं।
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हौं।
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में कैंक है?	नहीं।
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मीटर (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मीटर) है?	हौं।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है?	हौं।
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के कर्षा क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हौं।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हौं।
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मीटर ऊँचाई 2.0 मीटर) है?	हौं।

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ।
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे 'भवन' में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ।
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइंटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ।
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ।
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बांकस (First aid Box) स्थापित है?	हाँ।

अवारं आभेदन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०दिं
वाराणसी